भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3634
दिनांक 03 अप्रैल, 2023

व्यवसाय व्यय नीति

3634# श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री दिनांक 13 फरवरी 2023 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं 1245 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यवसाय व्यय की नीति, जिसके प्रावधानों के अंतर्गत मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के व्यय वहन किए जा रहे, का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उक्त नीति के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी व्यवसाय व्यय के हकदार हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख) एचपीसीएल द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, मुख्य सतर्कता अधिकारी (जो प्रतिनियुक्ति पर हैं और कार्यकारी निदेशक रैंक के हैं) सहित वरिष्ठ प्रबंधन एचपीसीएल के अनुमोदित वार्षिक राजस्व बजट के अनुसार कतिपय मासिक/ वार्षिक सीमाओं के साथ किए गए व्यवसाय व्ययों की प्रतिपूर्ति का हकदार है।

****